# मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-3

## संक्षिप्त कार्य विवरण

## पत्रक भाग-एक

**बुधवार, दिनांक 21 फरवरी, 2007 (फाल्गुन 2, 1928)**

**विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

### 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 7 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(डॉ. सुनीलम्, सदस्य द्वारा प्रश्न संख्या-2 (क्रमांक-1004) पर सरकार द्वारा डूब प्रभावितों के लिए की जा रही कार्यवाही से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य द्वारा प्रश्न संख्या-10 (क्रमांक 1067) "निजी डेन्टल/मेडिकल कालेजों में प्रवेश प्रक्रिया" पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 46 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 81 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

**उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.**

### 2. नियम 267 क के अधीन विषय

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा आदिवासी छात्रावासों, कुष्ठ आश्रम, विकलांग केन्द्रों व संगठनों को गेंहू चावल का कोटा घटाए जाने,

(2) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने बैतूल जिले में गरीबी रेखा में 20 हजार परिवारों के नाम काटे जाने,

(3) श्री दरबू सिंह उइके, सदस्य ने बालाघाट स्थित शासकीय महाविद्यालय द्वारा विधि छात्रों से समस्त शुल्क जमा कराई जाने,

(4) श्रीमती अलका जैन, सदस्य ने कटनी स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7 पर स्थित नदी का पुल जर्जर होने,

(5) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने प्रदेश के बड़वानी जिला मुख्यालय से 3 किलो मीटर दूर सजवानी ग्राम के किसान द्वारा फांसी लगाये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

## 3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों :-

(1) मध्यप्रदेश न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2007 (क्रमांक 1 सन् 2007), तथा

(2) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अध्यादेश, 2007 (क्रमांक 2 सन् 2007).

पटल पर रखे.

## 4. अक्टूबर-नवम्बर, 2006 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांक के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

उपाध्यक्ष महोदय ने अक्टूबर-नवम्बर, 2006 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांक के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

## 5. नियम 267-क के अधीन अक्टूबर-नवम्बर, 2006 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

उपाध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन अक्टूबर-नवम्बर, 2006 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

## 6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित निम्नलिखित विधेयकों को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है:-

(1) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2006 (क्रमांक 25 सन् 2006)

(2) मध्यप्रदेश विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 26 सन् 2006) तथा

(3) न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 24 सन् 2006)

## 7. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, रामनिवास रावत, सदस्य ने धार एवं बैतूल जिले में एकीकृत आदिम जाति विकास परियोजना के माध्यम से घटिया डीजल पंप प्रदाय किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविंद सिंह, श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य ने प्रदेश में यूरिया खाद की कमी से उत्पन्न स्थिति की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

चौधरी चन्द्रभान सिंह, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री रामलखन शर्मा, सदस्य ने प्रदेश में उत्पन्न खाद संकट पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया)

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष द्वारा प्रदेश में उत्पन्न खाद संकट पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया)

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

## 8. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 153- उदयपुरा से निर्वाचित सदस्य, श्री रामपाल सिंह ने विधानसभा के अपने स्थान से त्याग पत्र दे दिया है, जिसे उनके द्वारा दिनांक 14 नवम्बर, 2006 को स्वीकृत कर लिया गया है।

## 9. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमा वली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्रीमती सुधा जैन
(2) श्री लाल सिंह आर्य
(3) श्री ज्ञान सिंह
(4) श्री इंद्रजीत कुमार
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) श्री कृष्ण कुमार सिंह (भंवर साहब)

## 10. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 19 फरवरी, 2007 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों पर चर्चा हेतु उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है -

| क्र. | नाम विधेयक | निर्धारित समय |
|---|---|---|
| (1) | न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 | 30 मिनिट |
| (2) | मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2007 | 30 मिनिट |
| (4) | मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक-1 सन् 2007) | 30 मिनिट |
| (4) | वर्ष 2006-2007 की तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान, तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण। | 2 घण्टे |

समिति द्वारा यह भी सिफारिश की गई है कि -

(1) विधान सभा के वर्तमान सत्र में शुक्रवार के दिनों में सभा की होने वाली बैठकें प्रात: 9.00 बजे से अपरान्ह् 2.00 बजे तक प्रायोगिक तौर पर रखी जाएं।

(2) दिनांक 27 एवं 28 फरवरी तथा 1 एवं 2 मार्च, 2007 को सभा की बैठकें न रखी जाएं।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृत देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## 11. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

श्रीमती सुधा जैन, सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना भाषण प्रारम्भ किया।

**(1.00 बजे से 2.37 बजे तक अन्तराल)**

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

श्रीमती सुधा जैन, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर में उनके पास 15 माननीय सदस्यों के संशोधनों की सूची प्राप्त हुई है। उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, उन्हें उन्होंने अग्राह्य कर दिया है।

संशोधन बहुत बड़े-बड़े है, मैं पूरे संशोधन को नहीं पढ़ूँगा। केवल उनके प्रस्तावकों के नाम और संशोधन क्रमांक ही पढ़ूँगा। जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होंगे, उनके संशोधन प्रस्तुत हुए माने जायेंगे.

| **सदस्य का नाम** | **संशोधन क्रमांक** |
|---|---|
| श्री रामलखन शर्मा | 1 |
| श्री सज्जन सिंह वर्मा | 4 |
| श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर | 5 |
| श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा) | 7 |
| डॉ. गोविन्द सिंह | 13 |
| डॉ. सुनीलम् | 15 |

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्रीमती सुधा जैन सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ चर्चा होगी।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सत्यदेव कटारे
(2) श्री रामलखन शर्मा
(3) श्री दुर्गालाल विजय
(4) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(5) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा
(6) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर

**(चर्चा अपूर्ण)**

05 बजकर 05 मिनिट पर विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 22 फरवरी, 2007 (फाल्गुन 3, 1928) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

**डॉ. ए.के.पयासी**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**